रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220177
CG-DL-E-26062020-220177

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1828] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942
No. 1828] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASADHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2065(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को एतद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
564	एनई 5	जसौर खेड़ी गांव के निकट केएमपी न से के साथ अपने जंक्श (पलवल – मानेसर – कुंडली) प्रारंभ होकर हरियाणा राज्यमें खरखोदा, गोहाना, बुटाना, कलायत, बरता, पंजाब राज्य में गुलजापुरा, पतरान, भवानीगढ़, धुरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लनपुर ढाका, नूरमहल, कांगसाहबू, करतारपुर को जोड़ने वाला और गुरदासपुर बाइपास पर रारा 54-के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तदुपरांत अधिसूचना संख्या का. आ. 1968(अ) दिनांकित 18 जून, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/9/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2065(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
564	NE 5	The Expressway (under construction) starting from its junction with KMP(Kundli- Manesar- Palwal) expressway near Jasaur Kheri village connecting Kharkhoda, Gohana, Butana, Kalayat, Barta in the State of Haryana, Gulzapura, Patran, Bhawanigarh, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh, Mullanpur Dhaka, Nurmahal, Kangsahbu, Kartarpur and terminating at its junction with NH No. 54 on Gurdaspur Bypass in the State of Punjab.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1968 (E), dated 18th June, 2020.

[F. No. NH-14012/9/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.26 21:21:55 +05'30'